विविध **बैंक प्रकरण संख्या 74/2020(GCMS : 2020/00213) आई.सी.आई.सी. आई. बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, पुराना पद्रा रोड़, बडोदरा – 390007, गुजरात एवं शाखा कार्यालय 92 सी ब्लॉक, रायसिंहनगर– 335051 जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विवेश शर्मा बनाम 1. मैसर्स गुरूनानक एण्टरप्राईजेज,** दुकान नं. 29830, अनूपगढ़ रोड, रायसिंहनगर **2. बलराज सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह** निवासी 71 जीबी, अनूपगढ़ **3. बलराज सिंह पुत्र श्री मंजीत सिंह** निवासी 23 एफ एफ रायसिंहनग रजिला श्रीगंगानगर **4. मनिन्दर कौर पत्नि श्री बलराज सिंह** निवासी वार्ड नं 8, वीपीओ, 22/23 एफ एफ (लोहारा) 21 एफ एफ गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर **5. सुखविन्द्र कौर पत्नि श्री बलकार सिंह** निवासी गौरी प्लेस के पास, वार्ड नं. 9, नया 12 अनूपगढ श्रीगंगानगर **6. परमजीत कौन पत्नी श्री त्रिलोक सिंह** निवासी 71 जीबी, अनूपगढ **7. बलकार सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह** निवासी 551 अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.04.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री मदन लाल सिड़ाना, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स गुरूनानाक एण्टरप्राईजेजे, बलराज सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, बलराज सिंह पुत्र मंजीत सिंह, मनिन्दर कौर, सुखविन्द्र कौर, परमजीत कौर एवं बलकार सिंह द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी **मनिन्द्र कौर की सम्पत्ति** प्लॉट नं. डी–18 (क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट) किला नं. 17, 18 स्कवायर नं 14, वार्ड नं. 1, रायसिंहनगर, **सुखविन्द्र कौर की सम्पत्ति** किला नं. 3 व 8 (क्षेत्रफल [illegible] वर्गफीट) स्कवायर नं 20, चक 23 पीएस, रायसिंहनगर **बलकार सिंह की [illegible]** प्लाट नं. 125 **(क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट)** वार्ड नं 25, कानाउट प्लेस रोड, अनूपगढ, प्लाट नं. [illegible] (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट) वार्ड नं 25, कानाउट प्लेस रोड, अनूपगढ एवं प्लॉट, **वार्ड नं 21 (2470 वर्गफीट)**, अनूपगढ द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गई सम्पत्ति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं, अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **दिनांक 08.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., श्रीगंगानगर** के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स गुरूनानाक एण्टरप्राईजेजे, बलराज सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, बलराज सिंह पुत्र मंजीत सिंह, मनिन्दर कौर, सुखविन्द्र कौर, परमजीत कौर एवं बलकार सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में **मनिन्द्र कौर की सम्पत्ति प्लॉट नं. डी–18 (क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट) किला नं. 17, 18 स्कवायर नं 14, वार्ड नं. 1, रायसिंहनगर, सुखविन्द्र कौर की सम्पत्ति किला नं. 3 व 8 (क्षेत्रफल 18975 वर्गफीट) स्कवायर नं 20, चक 23 पीएस, रायसिंहनगर बलकार सिंह की सम्पत्ति प्लाट नं. 125 (क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट) वार्ड नं 25, कानाउट प्लेस रोड, अनूपगढ, प्लाट नं. 125 (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट) वार्ड नं 25, कानाउट प्लेस रोड, अनूपगढ एवं प्लॉट, वार्ड नं 21 (2470 वर्गफीट),अनूपगढ** द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता यह [illegible] की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., श्रीगंगानगर द्वारा **कार्यवाही न चाहने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 08.10.2020 अन्तर्गत धारा 14** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:19 IST
Reason: SelfAttested